

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त एवं योजना विभाग  
दाऊ कल्याण सिंह भवन  
मंत्रालय- रायपुर

क्रमांक 06/सी-2657/वित्त/नियम/चार/2006,  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 06.01.2006

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
छत्तीसगढ़ ।

विषय:- सेवा निवृत्त शासकीय कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के संबंध में ।

संदर्भ:- 1. इस विभाग का परिपत्र क्रमांक 156/23/वि/नि/चार/02, दि. 18 मार्च 02  
2. इस विभाग का परिपत्र क्रमांक 386/सी-134/वि/नि/चार/05, दि. 24.9.05

----

उपरोक्त विषय के संबंध में छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग द्वारा अपने वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से शासन के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि संबंधित विभागों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रकरणों पर समय पर एवं पूर्णरूपेण कार्यवाही नहीं की जाती है, जिससे कि अनेक प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक विलंब तो होता ही है साथ ही शासन की छबि भी धूमिल होती है ।

उपरोक्त संबंध में पूर्व में भी शासन द्वारा समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किये जाते रहे हैं ।

अतएव समस्त विभागों से पुनः अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों को उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करें, ताकि इन प्रकरणों का त्वरित निराकरण हो सके ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार


(एस.के.चक्रवर्ती)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय मंत्रालय ।
4. रजिस्ट्रर जनरल, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग. ।
5. सचिव, छ.ग. लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग, /लोक आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री,छत्तीसगढ़ शासन ।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ।
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
10. सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर ।
11. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छ0ग0, रायपुर ।
12. आवासीय आयुक्त,छत्तीसगढ़ भवन,चाणक्यपुरी,नई दिल्ली ।
13. राज्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
14. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ रायपुर
15. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त सचिव,विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर ।
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग ।
16. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
21. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
22. राज्य सूचना अधिकारी,राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (nic) को वित्त विभाग की वेबसाइट <http://cgfinance.nic.in> में अपलोड करने हेतु ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(एस.के.चक्रवर्ती)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग